उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

विविध आवेदन संख्या-09/2024-25

बीबी रानी खातुन

बनाम्

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट

—: आदेश :—

दिनांक 01/7/25

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया।

वर्तमान वाद में, आवेदिका बीबी रानी खातुन, पति–मो0 हफीज, सा0–अमड़ाकामत, पो0–फसिया, प्रखंड+थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्र, आमडा़कामत में सहायिका के पद पर चयन करते हुए दिनांक–28.09.2022 के आम सभा का प्रतिवेदन रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

चूँकि, उपायुक्त के न्यायालय में उन्हीं आवेदनों पर सुनवाई की जाती है, जिनमें उपायुक्त को संबंधित धारा के अन्तर्गत सरकार से शक्ति प्राप्त होती है। आवेदिका के आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त मामले का निष्पादन सक्षम कार्यालय/विभाग द्वारा ही होना है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में आवेदिका के आवेदन पर वाद चलाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदिका के आवेदन को प्रविष्टि के बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

(हस्ताक्षर) 01/7/25
उपायुक्त,
गोड्डा।

(हस्ताक्षर) 01/7/25
उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.10.15 14:13:51 +05:30
Location: 192.168.1.36